समाज कल्याण विभाग

क्र०स०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएं	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएं तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वालो पदाधिकारी का नाम
1.	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं के भागीदारी सुनिश्चित करना है जिसके लिए सरकार महिलाओं की आर्थिक मदद प्रदान करती है महिलाओं के लिए सामाजिक सशक्तिकरण,सांस्कृतिक सशक्तिकरण,तथा आर्थिक सशक्तिकरण, पर बल देना, भविष्य में उनके लिए नई योजनाओं को लाना, महिला हेल्पलाइन ,कल्पवास गृह रक्षा को संचालित करना और स्वयं सहायता समूह को नवचारी (नए कार्यों) के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाती है।	इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं के भागीदारी सुनिश्चित करना है जिसके लिए सरकार महिलाओं की आर्थिक मदद प्रदान करती है महिलाओं के लिए सामाजिक सशक्तिकरण,सांस्कृतिक सशक्तिकरण,तथा आर्थिक सशक्तिकरण, पर बल देना, भविष्य में उनके लिए नई योजनाओं को लाना, महिला हेल्पलाइन ,कल्पवास गृह रक्षा को संचालित करना और स्वयं सहायता समूह को नवचारी (नए कार्यों) के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाती है संबंधित आवेदन आम जनता द्वारा दिया जा सकता है।	प्रखंड विकास पदाधिकारी
2	विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	विकलांगो को दिया जाता है।	बिहार राज्य के मूल निवासी लाभ प्राप्त कर सकते है।	
3	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	इस योजना के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को ₹ 3,000/-की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत e-suvidhaपोर्टल के माध्यम से लाभुकों को भुगतान किया गया है।	बी०पी०एल० परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु उनके परिवार कोएकमुश्त सहायता दी जाती है।	
4	समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में स्वीकृति के पश्चात भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित परिवाद	• इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन • इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन • इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन • मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना • लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना • बिहार निःशक्तता पेंशन	• इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन • इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन • इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन • मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना • लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना • बिहार निःशक्तता पेंशन संबधित आवेदन आम जनता द्वारा दिया जा सकता	

समाज कल्याण विभाग

			है।	
5	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या रोकना, लिंग अनुपात में सुधार और जन्म पंजीकरण के प्रति नागरिकों को प्रोत्साहित करना। जो लोग लड़कियों को अभिशाप मानते है उनके मन से ऐसी कुरीतियों को निकलने का काम भी यह योजना करेगी। योजना के माध्यम से राज्य में जन्म लेने वाली प्रत्येक पात्र बालिका को 18 साल की आयु पूरी होने के पश्चात मैच्योरिटी राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन किस बालिका की 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले मृत्यु हो जाती है तो मेच्योरिटी का सारा पैसा वापस महिला विकास निगम को चला जायेगा। इसके अलाव, कन्या सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियां आत्मनिर्भर और शिक्षित बन सकेंगी।	• आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। • कन्या का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद होना चाहिए। • नवजात कन्या का जन्म पंजीकरण होना अनिवार्य हैं। • कन्या का पंजीकरण जन्म के 1 वर्ष के भीतर कराया गया हो। • नवजात कन्या बीपीएल श्रेणी से संबध रखती हो। • कन्या के जन्म से 3 वर्ष तक आवेदन कर सकते है। संबधित आवेदन आम जनता द्वारा दिया जा सकता है।	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
6	अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	इस योजना के तहत अन्तर्जातीय विवाह योजना सन्निहित है। अन्तर्जातीय विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18और 21वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए अनुदान देय होगा।	अन्तर्जातीय विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18और 21वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए अनुदान देय होगा। संबधित आवेदन आम जनता द्वारा दिया जा सकता है।	सहायक निदेशक,बाल संरक्षण इकाई
7	समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत सेवाएँ	• पूरक पोषण आहार • स्वास्थ्य जांच	छः वर्ष के बच्चों तक	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम

समाज कल्याण विभाग

		• टीकाकरण • पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा • शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा • सन्दर्भ सेवाएं		पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0
8	पूरक पोषाहार कार्यक्रम	पूरक पोषाहार योजना के अंतर्गत छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं तथा किशोरियों को उनकी पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। यह योजना 50:50 के अनुपात केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित है।	बिहार राज्य के छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं तथा किशोरियों को लाभ दिया जाता है।	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0
9	आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चों के लिए पोशाक योजना	आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3-6 वर्ष के सभी बच्चों को यूनिफार्म का एक सेट दिया जाता है या वैकल्पिक रूप से यूनिफार्म (लड़कों के लिए हल्के नीले रंग की कमीज और नेवी ब्लू पैंट्स तथा लड़कियों के लिए हल्के नीले रंग की कमीज और नेवी ब्लू स्कर्ट) के लिए प्रति वर्ष प्रति बच्चा के राशि आवंटित की जाती है।	आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3-6 वर्ष के सभी बच्चों को यूनिफार्म का एक सेट दिया जाता है।	
10	इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की गर्भवती स्त्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है इस योजना के तहत मजदूर वर्ग की स्त्रियाँ जो मजदूरी करती है उन्हें गर्भावस्था के समय आर्थिक सहायता प्रदान करके उचित सुविधाएं जैसे (स्वास्थ्य सम्बन्धी ,उचित खान पान)प्रदान करना है तथा गर्भवती महिलाओ और स्तनपान कराने वाली महिलाओ और उनके बच्चे को कुपोषित होने से बचाना है तथा मृत्यु दर को कम करना है		आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की गर्भवती स्त्रियों को इसका लाभ दिया जाता है।	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

समाज कल्याण विभाग

11	वृद्ध माता-पिता को उनके पुत्रों द्वारा मारपीट करनाउचित देखभाल/भरण पोषण नहीं करने से संबंधित मामले	अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैए वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त कर सकते है।	वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैए वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है।	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
12	आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने के संबंध में	आंगनवाड़ी केन्द्र जनसंख्या पर बनाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हो सकते हैं।	आंगनवाड़ी केन्द्र जनसंख्या पर बनाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हो सकते हैं।	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
13	समेकित बाल संरक्षण योजना	इस योजना का उद्देश्य बच्चों को कार्यक्षम और प्रभावकारी रूप से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था के निर्माण के सरकार/राज्य के दायित्व को पूरा करने में योगदान करना है। यह "बाल अधिकारों की रक्षा" और "बच्चे के सर्वोत्ताम हित" के आधारभूत सिद्धांतों पर तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, संशोधित अधिनियम, 2006 और उसमें दी गई नियमावली पर आधारित है। यह देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों और विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों का समग्रतापूर्ण विकास, देखरेख, संरक्षण और उपचार के प्रति बाल-मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए किशोर न्याय अधिनियम और उसकी नियमावली को प्रोन्नत करती है।	छः वर्ष के बच्चों तक	सहायक निदेशक,बाल संरक्षण इकाई
14	बाल गृहखुला आश्रयविशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थानविशेष गृह एवं पर्यवेक्षण गृहों का संचालन	किशोर न्याय अधिनियम/समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत राज्य में संस्थागत देखरेख कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं । देखेरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए राज्य में शासकीय बालगृह एवं अशासकीय बालगृह, खुला आश्रय गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित है जबकि विधि विरूद्ध कार्य करने वाले बालकों के लिए राज्य	किशोरी एवं बालक इसका लाभ ले सकते है।	सहायक निदेशक,बाल संरक्षण इकाई

समाज कल्याण विभाग

		में शासकीय सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है।		
15	परवरिश (अनाथ बच्चों के लिए)	इस योजना का लाभ वैसे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं अथवा माता-पिता एचआईवी एड्स या कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। समाज में अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के बेहतर पालन-पोषण के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस योजना को लाया गया है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण असहाय बेसहारा बच्चों का पालन पोषण बाधित नहीं हो।	नियमावली के मुताबिक वैसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं हो तथा अपने ननिहाल, मौसा-मौसी, चाचा-चाची के यहां रह रहा हो। बच्चा जिनके यहां रह रहा है, वह बीपीएल परिवार का सदस्य हो अथवा वार्षिक आय 60 हजार से अधिक नहीं हो उसे 'परवरिश' योजना से लाभ मिलेगा।	सहायक निदेशक,बाल संरक्षण इकाई
16	विकलांग सर्वेक्षण	विकलांगों के लिए सर्वेक्षण	विकलांग के लिए	प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक निदेषकए सामाजिक सुरक्षा
17	महिला हेल्प लाईन से संबंधित शिकायतें	महिला हेल्प डेस्क का उद्देश्य है महिलाओं को उनकी समस्याओं के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय स्थान प्रदान करना। यह एक ऐसा स्थान होता है जहां महिलाएं अपनी समस्याओं को बता सकती हैं और उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। महिला हेल्प डेस्क में महिला पुलिस अधिकारी तैनात किए जाते हैं जो महिलाओं की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं	प्रताड़ित महिला	जिला प्रोग्राम पदाधिकारीए आई0सी0डी0एस0
18	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	इस योजना के अंतर्गत 18से 59 आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।	इस योजना के अंतर्गत 18से 59 आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की मृत्यु के उपरांत आश्रित परिवार को लाभ् दिया	प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल

समाज कल्याण विभाग

			जाता है।	पदाधिकारी
19	कृत्रिम अंग एवं उपकरण का वितरण	दिव्यांगों को जरूरत के हिसाब से ट्राइसाइकिल, क्रत्रिम अंग एवं अन्य उपकरण वितरित किए गए। ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, जोडी बैसाखी, वांकिंग स्टिक, कृत्रिम अंग कैलीपर्स आदि का वितरण।	दिव्यांगों को जरूरत के हिसाब से लाभ दिया जाता है।	सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा
20	निःशक्तजनों को शिक्षा एवं स्वरोजगार हेतु ऋण	निःशक्तजनों को शिक्षा एवं स्वरोजगार हेतु ऋण दिया दिया जाता है।	निःशक्तजन व्यक्ति इसका लाभ ले सकते है।	सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा
21	विशेष विद्यालयों का उन्नयन	मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विधालय का निर्माण	मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों	
22	बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण योजना (BISPS)	दिव्यांग व्यक्तियों और विधवाओं को बिहार में महादलित अनुसार जन जाति और दिव्यांग /वृद्धा महिलाओं सहित अनुसूचित जातियों को ध्यान में रखने हुए/ के लिए देखभाल सेवाओं प्रदान करना। दिव्यांग व्यक्तियों और विधवाओं को बिहार में महादलित अनुसार जन जाति और दिव्यांग /वृद्धा महिलाओं सहित अनुसूचित जातियों को ध्यान में रखने हुए/ के लिए देखभाल सेवाओं प्रदान करना।	दिव्यांग व्यक्तियों को जरगो और विधवाओं बिहार में महादलित अनुसार जन जाति और दिव्यांग /वृद्धा महिलाओं सहित अनुसूचित जातियों के व्यक्ति।	सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा
23	बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	इस योजना के माध्यम से उनके स्वास्थ्य को सुधारने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत Visible Deformities Grade-2 से पीड़ित मरीजों को आर्थिक सहायता हर महीने की जाती है।	इस योजना के अंतर्गत Visible Deformities Grade-2 से पीड़ित मरीजों को लाभ दिया जाता है।	
24	मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	स्व-रोजगार के योग्य एवं इच्छुक भिक्षुको हेतु चाय दुकान, फल -फुल व सब्जी ,ठेला ,रिक्शा ,किराना दुकान एवं अन्य कार्य हेतु स्वावलंबन कार्यक्रम अंतर्गत आर्थिक सहायता दी	भिक्षुक व्यक्ति	

समाज कल्याण विभाग

		जाती है।		
25	वृद्धाश्रमों का निर्माण	वृद्धाश्रम (Old Age Home) एक सामाजिक संगठन है जो वृद्ध और अकेले व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह संगठन उन वृद्ध लोगों को साथीपन, सुरक्षा, और सहायता प्रदान करता है जो अपने परिवार या समाज से अलग हो गए हैं। वृद्धाश्रम विभिन्न सुविधाओं के साथ रहने का एक सुरक्षित और सामाजिक माहौल प्रदान करते हैं, जहां वृद्ध लोग अपने योग्यतानुसार आराम से जीवन बिता सकते हैं। वृद्धाश्रमों में आवास, आहार, चिकित्सा सेवाएं, सामाजिक गतिविधियाँ, धार्मिक और मनोरंजन कार्यक्रम आदि प्रदान किए जाते हैं। वृद्धाश्रम एक महत्वपूर्ण संगठन है जो वृद्धावस्था में लोगों को सम्मान, प्यार और देखभाल की सुविधा प्रदान करता है।	एक वृद्धाश्रम का स्थान अपने निवासियों की भलाई और खुशी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह एक शांतिपूर्ण और प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए, जो आरामदायक जीवन के लिए आवश्यक सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पेशकश करता है. लक्ष्य जनसांख्यिकीय की प्राथमिकताओं और जरूरतों के आधार पर, एक वृद्धाश्रम एक ग्रामीण या शहरी सेटिंग में स्थित हो सकता है.	सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा
26	मानसिक रूप से विकलांगों के लिए नये विशेष विद्यालयों की स्थापना	हाल के वर्षों में शारीरिक रूप से विकलांग एवं विभिन्न प्रकार से अक्षम बच्चों के प्रति समाज में व्याप्त धारणाओं में कुछ परिवर्तन आया है। कई बार यह दोहराया गया है कि यदि विकलांगों की बीमारी का सही समय पर पहचान कर लिया जाए, उसके बचाव के लिए मदद दी जाए एवं उपकरण की सुविधा और शिक्षा ,व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए तो उनमें से बहुमत लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हम सभी को इन्हें ज़ीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त एक नागरिक के रूप में अपनाने की इच्छा दिखानी होगी।	मानसिक एवं विकलांग व्यकित	

समाज कल्याण विभाग

27	मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना	इस योजना के तहत निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना तथा अन्तर्जातीय विवाह योजना सन्निहित है। अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18और 21वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा।	इस योजना के तहत निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना तथा अन्तर्जातीय विवाह योजना सन्निहित है। अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18और 21वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा। संबंधित महिला/पुरूष इस योजना का लाभ ले सकते हैं1	सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा